

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/634...../

जबलपुर, दिनांक 28 / 01 / 23

दो-14-28/21

श्रीमती प्रियंका पिठवे मिश्रा, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को पूर्व स्वीकृत दिनांक 25.07.2022 से 09.08.2022 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10.08.2022 से 05.02.2023 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश के निरन्तर में दिनांक 06.02.2023 से 04.08.2023 तक 180 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/635...../

जबलपुर, दिनांक 28 / 01 / 23

दो-14-28/21

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना / लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती प्रियंका पिठवे मिश्रा, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे) 28/1/2023
ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.